ज़िला शिक्षा अधिकारी को चार्जशीट: मंडलायुक्त द्वारा रचा षड़यंत्र

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महावीर सिंह ने 27 सितम्बर को ज़िला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी को रूल 8 के तहत चार्जशीट किया है। उनके इस पत्र की विशेषता यह है कि पत्र के आरम्भ में तो तारीख 17 सितम्बर व अन्त में 27 सितम्बर लिखी है। यानी प्रधान सचिव के लिये इन दस दिनों के हेर-फेर का कोई महत्व नहीं है।

अब इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य मंडलायुक्त संजय जून द्वारा प्रधान सचिव को लिखा वह पत्र है जिसमें उन्होंने ऋतु चौधरी के विरुद्ध मनगढंत व निराधार आरोप लगाए हैं। सुधी पाठक इसमें दी गई तिथियों पर विशेष ध्यान देवें।

मंडलायुक्त संजय जून ने बतौर चेयरमैन फ़ीस व फंड रेगुलेटरी कमीशन 15 जुन 2021 को एक अर्द्ध सरकारी पत्र प्रधान सचिव महावीर सिंह को लिख कर शिक्षा अधिकारी ऋतु के विरुद्ध आरोप लगाया कि वह सही तरीके से काम नहीं करती, कहना नहीं मानती, आरटीआई का बहुत काम लम्बित पड़ा है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि बतौर ज़िला शिक्षा अधिकारी ऋतु चौधरी प्रथम अपील ऑथोरिटी हैं न कि राज्य जनसूचना अधिकारी। बतौर अपील ऑथोरिटी उनका कोई काम लम्बित नहीं है।

जिस लम्बित काम को मंडलायुक्त ज़िला शिक्षा अधिकारी के गले में डालना चाहते हैं, वह बड़ा अजीब है। जिस एफ़एफ़आरसी के चेयरमैन मंडलायुक्त हैं उसमें फ़रीदाबाद, पलवल और नूह के ज़िला शिक्षा अधिकारी व ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होते हैं यानी कि टोटल छः शिक्षा अधिकारी व एक भाड़े पर रखा चार्टेड एकाऊंटेंट सदस्य होता है। आरटीआई के मामले में चेयरमैन खुद प्रथम अपील ऑथोरिटी होते हैं और राज्य जनसूचना अधिकारी इन उक्त सात सदस्यों में से किसी एक को बनाते हैं। इस मामले में उन्होंने दिनांक 17 जून 2021 को ऋतु चौधरी को जनसूचना अधिकारी बना दिया। जबकि वे चाहते तो किसी भी ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी अथवा उप ज़िला शिक्षा अधिकारी को भी यह काम सौंप सकते थे।

विदित है कि ऋतु चौधरी ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रथम अपील ऑथोरिटी होने के साथ-साथ 'डाईट' व ज़िला मौलिक अधिकारी का कार्यभार भी अतिरिक्त रूप से सम्भाले हुए थीं। ऐसे में उनके लिये जनसूचना अधिकारी का काम कर पाना असम्भव था।

संजय जून ने 18 जून को प्रथम अपीलीय सुनवाई करने के लिये दो दिन पहले यानी 16 जून को जिला शिक्षा अधिकारी को बतौर जनसूचना अधिकारी बुलावा भेज दिया। यहां गौरतलब है कि 17 जून को तो उन्हें जनसूचना अधिकारी बनाये जाने का पत्र जारी होता है और 18 जून को उन्हें बतौर जनसूचना अधिकारी तलब कर लिया जाता है। जाहिर है ऐसे में शिक्षा अधिकारी को मामले से सम्बन्धित किसी बात का ज्ञान नहीं हो सकता था, लिहाज़ा उन्होंने सम्बन्धित सहायक को अपनी जगह भेज दिया। उस दिन मंडलायुक्त ने अपनी व्यस्तता के चलते दोनों पक्षों की हाजिरी लगाकर अगली डेट पत्र द्वारा सुचित कर दिये जाने का आदेश पारित कर दिया था। इस सारे मामले से स्पष्ट होता है कि ऋतु चौधरी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा।

जहां तक ऋतु चौधरी के काम करने या न करने का सवाल है तो इसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। ऋतु चौधरी ने जब यहां का कार्यभार सम्भाला तो उनका सारा कार्यालय अस्त-व्यस्त तो था ही, भ्रष्टाचार का भी पूरा बोलबाला था। स्कूल शिक्षक का कोई भी काम बाबू लोग बिना रिश्वत लिये करने को तैयार

ऋतु चौधरी : मेहनत एवं ईमानदारी का फल चार्जशीट

नहीं होते थे। इसके लिये शिक्षक प्राय: दूर-दूर से स्कूल छोड़कर बाबूओं के चक्कर ही लगाते रहते थे। जब भी किसी शिक्षक की पदोन्नति अथवा एसीपी लगनी होती थी तो उसके लिये आवश्यक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का फाइल में लगा होना आवश्यक होता है। लेकिन बाबू लोग शिक्षकों को तंग करने व पैसे झाड़ने के लिये उनकी रिपोर्ट को गायब कर देते थे।

ऋतु चौधरी ने आते ही सबसे पहले उन फ़ाइलों को तलब किया जिनमें गोपनिय रिपोर्ट गायब थी। इसका समाधान करने का उन्होंने एक नया फ़ार्मूला तैयार कर दिया। अपने ज़िले के दोनों ब्लॉक बल्लबगढ़ और फ़रीदाबाद में बाकायदा कैंप लगाकर अपने हस्ताक्षरों से नई गोपनिय रिपोर्ट तैयार कर दी जिससे तमाम शिक्षक बहुत खुश हुए। उनकी यूनियन ने जब ये बात राज्य मुख्यालय में जाकर बताई तो निदेशक महोदय ने यही फ़ार्मूला पूरे राज्य में लागू करा दिया। जाहिर है इससे राज्य भर के शिक्षक धन्य हो गये।

मेडिकल बिल

सेवा निवृत शिक्षक अपनी बीमारी के बिलों की वसूली के लिये बार-बार बाबूओं के चक्कर लगाने को मजबूर रहते थे। सोचिये, 70-80 साल के वृद्ध एवं बीमार लोगों के लिये इस तरह के चक्कर लगाना कितना दुखदायी हो सकता है। ऋतु चौधरी ने आते ही आदेश दिया कि किसी भी बिल पर उनसे पूछे बगैर कोई आपत्ति न लगाई जाये और तमाम लम्बित बिल उनके सामने लाये जायें। सैंकड़ों लम्बित बिलों में से तीन-तीन साल पुराने बिल भी शामिल थे। ऋतु ने इन तमाम बिलों को एक झटके में साफ करके लोगों की पेमेंट करा दी।

छात्र-छात्राओं को बांटने के लिये सरकार की ओर से खरीदी गई सैंकड़ों साइकिलें उन्हें न देकर एक कमरे में बंद कर दी गई। वर्षों तक ये साइकिलें पड़ी जंग खाती रही लेकिन अंधी-बहरी सरकार के किसी भी कान पर जूं नहीं रेंगी। उन साइकिलों को ठीक-ठाक करा कर बच्चों में ऋतु चौधरी ने बीते कुछ समय पहले ही बांटा था। इसके अलावा बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तकें व साइंस लेबोरेट्री का सामान भी, जो वर्षों से कमरों में पड़ा सड़ रहा था, उसे भी ऋतु चौधरी ने ही आकर सम्भाला।

इसी जून-जुलाई के महीने में हरियाणा सरकार अपने स्कूलों में बच्चे के दाखिले बढ़ाने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयासरत थी तो ऋतु चौधरी ने बिना शनिवार-रविवार देखे गांव-गांव मुहल्ले-मुहल्ले भाग-दौड़ करके पिछले वर्ष के मुकाबले 26000 छात्र अधिक भर्ती कराये जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

इस सबके बावजूद भी प्रधान सचिव ने बिना दिमाग का इस्तेमाल किये केवल मंडलायुक्त संजय जून के कहने मात्र पर ज़िला शिक्षा अधिकारी को चार्जशीट कर दिया। क्या यही ईमानदार व मेहनती अधिकारी का इनाम है?

सारे षड़यंत्र में डीईईओ मुनीष चौधरी गैंग

सरकार चाहे कांग्रेस की हो या चौटालों की या फ़िर भाजपा की, डीईईओ (ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी) मुनीष चौधरी की जुगाड़बाज़ी सदैव बनी रहती है। कांग्रेस राज में जुगाड़बाज़ी के बल पर नौकरी पाई तो चौटालों के राज में प्रिंसिपल का पद हथिया लिया। उस समय प्रिंसिपल बनने के लिये इनकी सुविधाअनुसार पात्रता में संशोधन किये गये और मुनीष पात्र न होते हुए भी झट से प्रिंसिपल बना दी गयी।

नौकरी के दौरान भी इन्होंने कभी इसको कर्त्तव्य नहीं समझा। बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करने की अपेक्षा इनका ध्यान सदैव हेरा-फ़ेरी व फ़र्जी बिल बनाकर सरकारी पैसा हड़पने पर रहा है। छोटी-छोटी अनेक वारदातों को दरकिनार करते हुए, पाठकों को 25 लाख 79 हजार रुपये के एक मोटे घोटाले की ओर ले चलते हैं। वर्ष 2003 से 06 तक मुनीष जब ज़िला जेंडर समनव्यक के पद पर तैनात थी तो इन्हें सरकार की ओर से उक्त रकम मिली। यह रकम जिले के विभिन्न स्कूलों में कमेटियां बनाकर विशेष गाइड लाइन्स के तहत खर्च करनी थी।

रकम मिलते ही मुनीष ने पहले झटके में ही पांच लाख रुपये डकारने की नीयत से सीधे अपने व्यक्तिगत बैंक एकाऊंट में डाल दिये। जब किसी सयाने कर्मचारी ने इन्हें समझाया कि यह तो तुमने सीधे जेल जाने का काम कर लिया। सरकारी पैसा इस तरह से सीधे तौर पर नहीं डकारा जाता। इसे डकारने के तरीके दूसरे होते हैं, उन्हें समझ कर डकारो। यह बात समझने में मुनीष को तीन महीने लग गये। इसके बाद उन्होंने यह रकम वापिस सरकारी खाते में डाल कर तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हुए पूरी की पूरी रकम डकार ली।

जाहिर है पूरी रकम तो उन्हें अकेले कौन डकारने देता, ऊपर-नीचे के विभागीय लोगों ने भी अपना-अपना हिस्सा उस रकम में से जरूर वसूला होगा। इसी के चलते आज तक किसी ने भी इस घोटाले के बाबत मुनीष को कभी नहीं छेड़ा। जानकार बताते हैं कि इस गबन की जांच एक बार संजय जून के पास भी आई थी जब वे यहीं पर बतौर एडीसी तैनात थे। उन्होंने सम्बन्धित

मुनीष चौधरी : जिसकी मुट्ठी में है शातिर प्रशासन

फ़ाइलें मंगाई तो थी लेकिन वे कहां गई कोई नहीं जानता। उधर दूसरी ओर, शिकायत करने वाले भला कहां रुकने वाले थे। वे पहुंच गए लोकायुक्त हरियाणा के दरबार में। समझा जाता है कि वहां से शीघ्र ही मुनीष को तो बुलावा आयेगा ही, अब तक जांच के नाम पर नौटंकी करने वाले अधिकारियों को भी सेक लगने की सम्भावना नज़र आती है। मुनीष को इस बात की आशंका है कि उसके विरुद्ध की जाने वाली तमाम शिकायतों के पीछे डीईओ ऋतु चौधरी का हाथ है। इसलिये वह उन्हें हर तरह से उखाड़ने-पछाड़ने में जुटी है।

बतौर डीईओ ऋतु के तैनात होने से मुनीष की मुसीबत बढ़ गई

ज़िला शिक्षा विभाग में मुनीष डिप्टी डीओ के पद पर तैनात होते हुए यदा-कदा ही दफ़्तर आती थी। जिस बाबू ने जो काम कराना होता, वह फ़ाइल लेकर उनके घर पहुंच जाता था। कई बार तो मैडम हाजिरी रजिस्टर भी घर पर ही मंगाकर हाजिरी डाल देती थी। दफ्तर के अपने कमरे पर बाकायदा ताला लगा कर रखती थी ताकि उनकी गैरहाजिरी में कोई और उनके कमरे में न घुस पाये। ठेके पर ली गई सरकारी गाड़ी का खुला दुरुपयोग करने में भी उन्हें कोई हिचक न थी। तत्कालीन डीईओ सतिन्द्र कौर की तो हिम्मत नहीं थी कि वे मुनीष को कभी कुछ कह सके। यानी कि उस काल में उन्होंने खुली मौज-मस्ती काटी। अब आ गई ऋतु चौधरी तो सबसे पहले उन्होंने मुनीष के कमरे से ताला हटवाया। दूसरे उन्होंने हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में ले कर उसकी गैरहाजिरी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इससे पहले मुनीष एक क्लर्क को अवैध रूप से अपनी कार पर बतौर ड्राइवर इस्तेमाल करती थी और उसकी हाजिरी दफ्तर में लगती थी। ऋतु ने उस क्लर्क की भी मुश्कें कस दी। इतना सब करने के बाद भी मुनीष काबू में आने को तैयार नहीं थी। वह दफ्तर का कोई भी काम करने को राजी नहीं थी।

उसने अपने ताल्लुकात के बल पर एडीसी सतबीर मान से,ऋतु को कहलवाया कि वह मुनीष को किसी काम के लिए न कहा करे। उसके हाजिरी रजिस्टर को न छेड़े। जब ऋतु ने मुनीष की नाफरमानी की शिकायत चंडीगढ़ मुख्यालय भेजी तो वहां से ज्वाईंट डायरेक्टर चौहान ने उलटे ऋतु को ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखा कि खबरदार जो आगे से कभी मुनीष को छेड़ा। उसकी किसी भी नाफ़रमानी के विरुद्ध मुख्यालय में शिकायत न किया करें। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि मुनीष तो ऐसे ही मौज-मस्ती काटेगी, ऋतु उसमें कोई अड़ंगेबाज़ी न करे। जाहिर है कार्यालय का एक अधिकारी जब अनुशासनहीनता व निकम्मेपन की तमाम हदें पार करने लगे तो शेष कर्मचारियों पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।

मुनीष को इतनी निरंकुशता से भी संतुष्टि नहीं हुई। जुगाड़बाज़ी करके वह यहीं पर पदोन्नत होकर डीईईओ के पद पर तैनात हो गई। नियमानुसार डीईओ की किसी वजह से अनुपस्थिति की अवस्था में डीईईओ स्वत: डीईओ का चार्ज ले लेते हैं। बीते दिनों जब डीईओ ऋतु 15 दिन की छुट्टी गई थी तो उसी समय मुनीष ने डीईईओ का पद सम्भाला और डीईओ का चार्ज भी ग्रहण कर लिया। छुट्टियों से लौटने के बाद ऋतु के साथ हर तरह की बद्तमीजी मुनीष ने की। करे भी क्यों न जब ऊपर तक के आईएएस अधिकारी उसकी मुट्ठी में हों। ऐसे में डीईओ ऋतु द्वारा मुख्यालय को भेजे गये तमाम पत्रों का रद्दी की टोकरी में जाना स्वाभाविक ही था, जबकि इन हालात में मुनीष को चार्जशीट हो जाना चाहिये था। लेकिन जब सईयां भये कोतवाल तो डर काहे का।

बाजारों से अतिक्रमण हटाने का अभियान दिखावा है या वास्तविक

फ़रीदाबाद (म.मो.) आजकल नगर निगम द्वारा एनआईटी के बाजारों से अतिक्रमण हटाने का तोड़-फ़ोड़ अभियान पूरे जोर-शोर से चलाया जा रहा है।

देखा जाय तो यह अभियान बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यह मात्र दिखावे के लिये एक-दो दिन चला कर छोड़ देने के लिए नहीं होना चाहिये।

विदित है कि लगभग सभी बाजारों में आधे से अधिक सड़क पर दुकानदारों ने अपना सामान आदि फ़ैला कर या फ़िर अपना काऊंटर काफ़ी आगे तक बढ़ाकर सड़क पर इस तरह से कब्ज़ा कर लिया होता है कि पैदल चलने वालों के लिये कोई जगह ही न बचे। इतना ही नहीं, अपने सामान के अलावा बहुत से दुकानदार अपने सामने रेहड़ी अथवा फ़ड़ी लगवा कर ही किराया वसूलते हैं। यह एक तरह से पैदल चलने वालों के अधिकारों का हनन है, जिस पर सरकार हमेशा चुप्पी साधे रहती है।

तोड़-फ़ोड़ करने वाली टीम का नेतृत्व

कर रहे एसडीओ सुमेर सिंह से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें निगमायुक्त की तरफ़ से सख्त आदेश हैं कि वे अपने क्षेत्र के तमाम बाजारों से अतिक्रमण हटा कर राहगीरों के लिये सुरक्षित फुटपाथ की व्यवस्था करेंगे। एसडीओ व निगमायुक्त की मंशा पर तो शक करने का कोई कारण नहीं है, वे तो पूरे जी जान से अतिक्रमण हटाने में जुटे रहेंगे। लेकिन उन राजनेताओं का क्या करें, जो कल को निगमायुक्त से यह अभियान बंद करने को कहें, क्योंकि इन बेअक्ल नेताओं के पास जनता की भलाई करने के लिये तो कुछ है नहीं, केवल अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के दबाव में आकर कुछ भी कर सकते हैं। इन नेताओं को इतनी समझ तो है नहीं कि सैंकड़ों दुकानदारों को खुश करने के लिये वे उन हजारों-लाखों लोगों को सड़कों पर लगे रहने वाले जाम से परेशान कर रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06